न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या– 19/2023
जी.सी.एम.एस– 2023/40

अपीलार्थीगण :–

1. कपिल कच्छवाहा पुत्र नीरज कच्छवाहा
2. अनिल कच्छवाहा पुत्र नीरज कच्छवाहा
3. सुनिल कच्छवाहा पुत्र नीरज कच्छवाहा

सभी जातियान माली निवासीगण देव भवन, रूपावतों का बास, सुरसागर, जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. नीरज कच्छवाहा पुत्र जय सिंह जाति माली निवासी देव भवन, रूपावतों का बास, सुरसागर, जोधपुर।
2. कुलदीप पुत्र जगदीश
3. धीरेन्द्र पुत्र जगदीश
4. भरत पुत्र जगदीश

तीनो जातियान माली, निवासीगण एचपी पैट्रोल पम्प, कालुरामजी की बावड़ी, सूरसागर, जोधपुर।

5. श्रीमती राजेश पत्नी धीरेन्द्र जाति माली, निवासी महामंदिर रेल्वे स्टेशन के पीछे, जोधपुर।
6. श्रीमती नीता पत्नी घनश्याम जाति माली निवासी गली नम्बर 3 बालाजी मंदिर के पास, मैन रोड़, नयापुरा जोधपुर।
7. श्रीमान तहसीलदार जोधपुरह।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरकरण सख्या 1438 ग्राम बागा दिनांक 04.05.2022 जो तहसीलदार (भू.प्र.) जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

Signature Not Verified

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा (अपीलार्थीपक्ष की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री के.सी.पीतावत (प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 की ओर से)

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:09:09 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश दिनांक 30.12.2024

अपीलार्थीगण ने यह राजस्व अपील तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा ग्राम बागा के नामांतरकरण 1438 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बागा के खसरा नम्बर 203,204, 656, 666 एवं 667 कुल खसरा सख्या 5 , कुल रकबा 77.13 बीघा भूमि के मूल रूप से खातेदार मोहनलाल, जगदीश, जय सिंह, बालकिशन पुत्रान देवाराम है इसमें से जय सिंह का देहान्त दिनांक 31.05.2017 को हो गया है। जय सिंह की पत्नी श्रीमती सविता का देहान्त दिनांक 17.11.2020 को हो गया। इस कृषि भूमि का एक वसीयतनामा जय सिंह पुत्र देवाराम द्वारा दिनांक 18.01.2012 को अपीलांट कपिल, अनिल, सुनील के हक में निष्पादित कर उप पंजीयक चतुर्थ के कार्यालय में पंजीबद्व करवाया गया। वसीयतनामा में साख रेस्पोडेन्ट सख्या 5 श्रीमती राजेश व 6 श्रीमती नीता के द्वारा की गई। वसीयतनामा की पालना में मृतक खातेदार जय सिंह पुत्र देवाराम के स्थान पर अपीलांटस के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना था किन्तु अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम नामान्तरकरण 1438 दिनांक 04.05.2022 स्वीकृत किया गया, से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया गये। प्रत्यर्थीगण 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.पीतावत ने वकालतनामा पेश किया। न्यायालय के पत्र क्रमांक एडीएम–प्रथम / कोर्ट / 2023 /178 दिनांक 26.06.2023 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड तलब किया गया एवं तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर के पत्रांक भू.अ./मिसल/2024/2722 दिनांक 24.05.2024 से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर बहस दिनांक 18.12.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनाांक 30.12.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पेश करते हुए कथन किया कि नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 व 6 को सूचना नहीं दी गई न ही सुनवाई का अवसर दिया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व में किसी भी स्त्रोत से नहीं थी। वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:09:09 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

जोधपुर के समक्ष अपीलांट द्वारा 26.05.2023 को आवेदन किया गया तब जांच हेतु पटवारी के पास भेजा गया एवं जय सिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1438 दिनांक 04.05.2022 के बारे में पटवारी द्वारा अपीलार्थीगण को दिनांक 31.05.2023 को बताये जाने पर जानकारी हुई एवं जानकारी होते ही अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की जा रही है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कर प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर अपील को अन्दर म्याद सुमार किये जाने की प्रार्थना की।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

1. विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने कथन किया कि राजस्व ग्राम बागा में स्थित खसरा नम्बर 203,204, 656, 666 एवं 667 कुल खसरा सख्या 5 , कुल रकबा 77. 13 बीघा भूमि के मूल रूप से खातेदार मोहनलाल, जगदीश, जय सिंह, बालकिशन पुत्रान देवाराम है। जय सिंह का देहान्त दिनांक 31.05.2017 को हो गया तथा जय सिंह की पत्नी श्रीमती सविता का भी देहान्त दिनांक 17.11.2020 को हो गया। श्री जय सिंह ने उक्त कृषि भूमि का एक वसीयतनामा दिनांक 18.01.2012 को अपीलांट कपिल, अनिल व सुनील के हक में निष्पादित कर पंजीबद्व करवा दिया जो उप पंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर के कार्यालय में पंजीबद्व है। इस वसीयतनामा के दस्तावेज में रेस्पोडेन्ट नीता व राजेश की साख है। जय सिंह की मृत्यु दिनांक 31.05.2017 के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तरकरण वसीयतगृहिता अपीलांटस के नाम दर्ज किया जाना था परन्तु तहसीलदार जोधपुर ने ऐसा नहीं करके जयसिंह के जायन्दा सभी उत्तराधिकारियों के नाम अपीलांट को सुने बिना ही एक तरफा नामान्तरकरण 1438 ग्रम बागा को आदेश दिनांक 04.05.2022 पारित कर रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया, जो अवैध है। प्रत्यर्थी संख्या 5 को उक्त वसीयत की पूरी जानकारी थी फिर भी उक्त नामान्तरकरण गलत रूप से स्वीकार करवाया है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट ने दिनांक 26.05.2023 का वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आवेदन किया जो पटवारी को भेजा गया तो पटवारी ने बताया कि जय सिंह की फौतेदगी का नामान्तरकरण सख्या 1438 दिनांक 04.05.2022 स्वीकृत हो गया है, जिस पर अपीलांट ने यह अपील दिनांक 08.06.2023 को पेश की है जो अन्दर म्याद है। अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 के तहत अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र सहित पेश है, जिसे स्वीकार कर यह अपील स्वीकार की जावे तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 को अपास्त किया जावे क्योंकि तहसीलदार के समक्ष वे पक्षकार नहीं थे तथा उन्हे एक तरफा आदेश की जानकारी नहीं थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:09:09 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए यह भी कथन किया कि हिन्दु विवाह उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत एक हिन्दु को वसीयती उत्तराधिकार प्राप्त है। अतः जय सिंह वसीयत करने में सक्षम थे। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 1984 RRD-139 (शिवलाल बनाम उमराव) भी पेश किया।

2. प्रत्यर्थी संख्या 1,2,3,4 श्री नीरज, कुलदीप, धीरेन्द्र व भरत ने जरिए अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी जबाब प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2023 को पेश कर अपीलांट की अपील को जय सिंह द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 18.01.2012 अनुसार अपीलांटस के नाम नामान्तरकरण स्वीकार करने का कथन किया है तथा अपनी सहमति प्रदान की है।

3. प्रत्यर्थी संख्या 5 श्रीमती राजेश व प्रत्यर्थी संख्या 6 श्रीमती नीता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री के.सी.पीतावत ने दौराने बहस दिनांक 18.12.2024 को अपील का जबाब एवं लिखित बहस पेश की तथा कथन किया कि अपील का लिखित जबाब व लिखित बहस ही उनकी बहस है। यह भी कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में किया गया पंजीबद्व वसीयतनामा सही है या गलत है, इसका निर्धारण सिविल कोर्ट ही कर सकता है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 को यथावत रखा जावे।

4. विद्वान अधिववता ने फार्म सख्या तीन में प्रत्यर्थी राजेश की ओर से न्यायालय एडीजे–द्वितीय जोधपुर में प्रस्तुत मूल वाद संख्या 138/2022 की फोटोप्रति (06.05.2022), उक्त वाद में विरचित विवाद्यक दिनांक 28.11.2022 की फोटोप्रति, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रत्यर्थी संख्या 5 राजेश द्वारा प्रस्तुत SBCMA संख्या 2025/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 की फोटोप्रति, एवं आदेश के बाद जमाबंदी की प्रति, नामान्तरकरण संख्या 422/20.07.1990, 1438/04.05.2022 की प्रति, श्री देवाराम द्वारा दिनांक 17.05.1990 को निष्पादित नोटरी द्वारा तस्दीक वसीयतनामा की फोटोप्रतियां पेश की।

5. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि [illegible] ग्राम तहसील जोधपुर का खेत खसरा संख्या 203, 204, 666, 667 व [illegible] कुल रकबा 77–13 बीघा नामान्तरकरण संख्या 422 के कॉलम संख्या 5 व 6 [illegible] अनुसार देवाराम पुत्र जालाराम की खातेदारी में अंकित था। देवाराम के दिनांक 21.11.1988 को फौत होने पर इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:09:09 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नामान्तरकरण सख्या 422 से उनके जायन्दा पुत्रों श्री मोहनलाल, जगदीश, जय सिंह व बालकिशन के नाम दिनांक 20.07.1990 को स्वीकृत होने पर ये चारो पुत्र खातेदार दर्ज हुए तथा उक्त इन्द्राज आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1430 दिनांक 04.05.2022 के कॉलम संख्या 3 से 7 तक में अंकित इन्द्राजों से प्रमाणित है।

7. निर्विवादरूप से सह खातेदार जयसिंह दिनांक 31.05.2017 को तथा उनकी पत्नी सविता दिनांक 17.11.2020 को फौत हुए, परन्तु नामान्तरकरण (फौतेदगी) लगभग 5 वर्ष (04.05.2022) बाद खोला गया है, जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 133 के प्रावधानानुसार मृतक के कानूनी वारिशों को घटना के तीन माह के भीतर तहसीलदार को सूचित करना चाहिए। दिनांक 04.05.2022 को आक्षेपित नामान्तरकरण स्वीकृत होने के तुरन्त बाद प्रत्यर्थी संख्या 5 श्रीमती राजेश ने आराजी के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद संख्या 138/2022 माननीय न्यायालय एडीजे–द्वितीय में दायर किया है तथा वादिया के दादा स्वर्गीय देवाराम द्वारा एक वसीयत दिनांक 15.02.1988 को निष्पादित होना जाहिर किया है। हमने प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उक्त वसीयत की फोटोकापी का अवलोकन किया। फोटोकापी के अवलोकन से जाहिर हुआ यह दस्तावेज दिनांक 15.02.1988 को लिखना बताया है जिस पर देवाराम, लड़किया–जेठी देवी, सुगना, मूली देवी, कमला के साथ–साथ लड़को– मोहनलाल, जगदीश, जय सिंह, बालकिशन के हस्ताक्षर दिख रहे है तथा गवाह के रूप में मोहनलाल सांखला व नरपत सिंह का सिर्फ नाम ही अंकित है। यह दस्तावेज मूल रूप से नोटेरी से प्रमाणित नहीं है। फोटोकापी अनुसार नोटेरी V.D.Purohit द्वारा दिनांक 17.05.1990 को Photostate True copy Attested की है तथा नोटरी एक्ट/नियमों अनुसार नोटरी के रजिस्टर में दर्ज नहीं है तथा दिनांक 15.02.1988 को मूल वसीयतनामा का निष्पादन नोटरी के समक्ष स्वीकार नहीं किया गया है। इस दस्तावेज के गवाह के रूप में मोहनलाल सांखला व नरपत सिंह कौन है। इनकी पहचान अधूरी है तथा उनका यह पृष्ठांकन अंकित नहीं है कि देवाराम ने उनके समक्ष कब व कहां पर वसीयत की, निष्पादन किया तथा उन्होनें देवाराम के समक्ष कब हस्ताक्षर किए। अतः उक्त तथ्यों के होने से यह जरूरी है कि देवाराम द्वारा दिनांक 15.02.1988 को अगर कोई वसीयत लिखी है तो उनकी वैधता व प्रमाणिकता की जांच करना आवश्यक है क्यों कि यह दस्तावेज पंजीबद्व नहीं है। वसीयत का पंजीयन अनिवार्य नहीं है परन्तु अपंजीकृत होने से इसकी प्रमाणिकता/वैधता की जांच आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक तथ्य यह भी है कि अगर देवाराम ने दिनांक 15.02.1988 को लिखी वसीयत से विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 203, 204, 656, 666, 667 की भूमि जयसिंह अकेले को (एकल वसीयत) न करके जयसिंह के ''संयुक्त हिन्दु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:09:09 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

परिवार'' को की है। (प्रत्यर्थी का लिखित बहस में इसी बिन्दु पर भारी निर्भरता दर्शाते हुए जोर दिया है), तो वसीयतकर्त्ता देवाराम के दिनांक 21.11.1988 को फौत होने पर इस वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 422 दिनांक 20.07.1990 में जय सिंह संयुक्त हिन्दु परिवार के समस्त व्यक्तियों के नाम नामान्तरकरण में नाम दर्ज क्यों नही कराए तथा उसे आक्षेपित क्यों नही किया? देवाराम के वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं करवाकर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1438 दिनांक 04.05.2022 में जय सिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम दर्ज करवाने से यह विवाद उत्पन्न हुआ है, क्यों कि नामान्तरकरण संख्या 422 से सिर्फ जय सिंह का ही नाम दर्ज हुआ तथा जयसिंह ने दिनांक 18.01.2012 को अपीलांट के पक्ष में सम्पूर्ण भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत लिख दी जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 Attesting गवाह है, जिन्होने गवाह इबारत में इस प्रकार अंकन किया है '' मैं गीता/राजेश .... जोधपुर की रहने वाली है जो प्रथम पक्षकार (अर्थात पिता जय सिंह) के कहने से साख डाली है, इन्होनें इस दस्तावेज को पढ़कर सही होना मानकर हस्ताक्षर/अगुंष्ठ निशान मेरे सामने किये है। उक्त दोनों गवाहों ने उप पंजीयक (चतुर्थ) के समक्ष दिनांक 18.01.2012 को उपस्थित होकर वसीयत दस्तावेज का निष्पादन किया गया है तथा जवाब में इस तथ्य को स्वीकार कर रही है। अर्थात उक्त वसीयत दिनांक 18.01.2012 की पूरी जानकारी प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 को 18.01.2012 से ही भलीभांति थी। दोनों महिलाएं पढ़ी लिखी है। अंग्रेजी मे हस्ताक्षर करती है। अब अगर 10—12 वर्ष बाद अपने कृत्यों को आक्षेपित करती है, तो उन पर विधि का सुस्थापित विबंध का सिद्वान्त (Estoppel) लागू होगा। इसके अतिरिक्त अगर वे दिनांक 18.01.2012 को जयसिंह की रजिस्टर्ड वसीयत से आक्षेपित है तो उनको सक्षम न्यायालय में चाराजोरी करनी चाहिए थी, परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज हमारे समक्ष पेश नहीं किया है। अर्थात दिनांक 18.01.2012 की रजिस्टर्ड वसीयत आज भी प्रभावशील है।

8. जयसिंह द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 18.01.2012 अपीलांटस ने अपने कब्जे में रखा। जय सिंह दिनांक 31.05.2017 को फौत हो गए। जयसिंह की पत्नी सविता भी दिनांक 17.11.2020 को गुजर गई परन्तु हैरानी की बात यह है कि अपीलांट ने वसीयतनामा दिनांक 18.01.2012 के आधार पर नामान्तरकरण करने हेतु तहसीलदार जोधपुर के समक्ष बहुत ही देरी से दिनांक 26.0[illegible]2023 को अर्थात 6 वर्ष बाद आवेदन पेश किया है, जबकि वे जयसिंह के पौत्र है तथा उन्हें जय सिंह के फौत होने की व उनके पक्ष में निष्पादित वसीयत की भलीभांति जानकारी थी तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1438 दिनांक 04.05.2022 को स्वीकृत होने के बाद दिनांक 06.05.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा माननीय एडीजे द्वितीय कोर्ट जोधपुर में वाद संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:09:09 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

138/2022 दायर कर दिया था, जिसमें अपीलांट के पिता श्री नीरज प्रतिवादी के रूप में संयोजित है। जिसकी जानकारी भी अपीलांट को है। जब अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 04.05.2022 की जानकारी अपीलांट को दिनांक 00.05.2022 को हो गई, तो 26.05.2023 को एक साल बाद प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत दिनांक 18.01.2012 के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का निवेदन करना मात्र अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने का अप्रत्यक्ष रूप से कारण ढूंढ़ने का प्रयास मात्र है, जिसे स्वीकार किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करना है। अतः नामान्तरकरण संख्या 1438 में विरूद्ध अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 बलहीन होने से अस्वीकार किया जाता है।

9. प्रकरण का मेरिट पर परीक्षण करने पर जाहिर है कि तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 04.05.2022 को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1438 पारित किया है, उस समय उनको जयसिंह द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 18.01.2012 की कोई जानकारी ही नहीं दी तथा तहसीलदार ने जय सिंह के वारिशान (पुत्र, पुत्री, दोहिते) की जांच कर उनके नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया हैं। अतः अपीलांट का यह कथन कि तहसीलदार को वसीयतनामा के आधार पर अपीलांटस के नाम नामान्तरकरण स्वीकार करना चाहिए था, मानने योग्य नहीं है क्यों कि तहसीलदार की जानकारी में स्वतः ही वसीयत दिनांक 18.01.2012 की जानकारी होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अपीलांट का कानूनी रूप से धारा 133 के तहत दायित्व था कि वे अपना दावा तीन माह के भीतर पेश करते।

10. विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही में सरसरी जांच की जाती है तथा यह एक मात्र fiscal Proceedings है, इसके जरिए पक्षकारों के अधिकारों, हितो, स्वत्वों इत्यादि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में दोनों पक्षकार वसीयत दस्तावेजों के आधार पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे है। इन वसीयतों की वैधानिकता/प्रमाणिकता की जांच करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। दोनों पक्ष अपने–अपने दावों के आधार पर अपने हितो का निर्धारण सक्षम न्यायालय से करवाने हेतु स्वतंत्र है, जिसमे माननीय एडीजे द्वितीय कोर्ट जोधपुर में विचाराधीन वाद तो लम्बित है ही। इसके अतिरिक्त विवादग्रस्त आराजी पुश्तैनी बताई जा रही है तथा अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के तहत वसीयती उत्तराधिकार होने से जय सिंह द्वारा की गई वसीयत को उचित बताया है परन्तु पुश्तैनी आराजी सहदायिकी है या नहीं, तथा यदि है तो जय सिंह का हिस्सा कितना बनता है, क्यों कि अपने विभाजित हिस्से से अधिक हिस्से की वसीयत करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 16:09:00 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जयसिंह को भी अधिकार नहीं है। उक्त कलिष्ठ विधिक प्रश्नों का समाधान नामान्तरकरण की समरी जांच प्रक्रिया से निर्धारित नहीं किया जा सकता। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में दिनांक 09.09.2005 से किए गए संशोधन माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा– में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2020 अनुसार सहदायिकी के बेटी जन्म से ही सहदायिकी बन जायेगी, उसके पास समान अधिकार होंगे और समान दायित्वों के अधीन होगी तथा समान हिस्से हेतु हकदार है। 2020(2) RRT 998 अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण के माध्यम से पक्षकारों के हिस्सों/हितों का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1984 RRD 139 में प्रतिपादित व्यवस्था नियमित वाद में लागू होने से नामान्तरकरण की सरसरी जांच में लागू करना संभव नहीं है। अतः मेरिट पर भी यह अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट बलहीन व सारहीन होने से अस्वीकार योग्य होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1438 पर पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 को यथावत रखते हुए उसकी पुष्टि की जाती है। आदेश की एक प्रति के साथ तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त मूल अभिलेख तुरन्त लौटाया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:09:09 IST
Reason: SelfAttested